

सीताराम बजाज एम्प्लॉय

30/12/25

12/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिप्टीदार उपस्थित
वहसिलदार भागानर द्वारा शंकराय की पालना
कर दी गई है। उक्त शंकराय पाठक का
भागे पलाये जाने का कोई औचित्य नहीं
है अतः शंकराय की कार्यवाही रोक दी जाती
है पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर दर्प मं से
कम हो वाद तत्कालीन कार्रवाई लपतर हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर वितीय सांग